न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न0:–48/2022 रजू दिनांकः– 12.05.2022

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

नारायण पुत्र अर्जुन मीना निवासी खोहरा (बन्द का पुरा) तहसील टोडाभीम।

सायल

बनाम

1. ठण्डी पुत्र अर्जुन मीना
2. रामस्वरूप पुत्र अर्जुन मीना
3. संता देवी पत्नि भोंदूराम मीना
4. घनश्याम पुत्र प्रभू मीना
5. मलखान पुत्र प्रभू मीना
6. धारा पुत्र ख्याली मीना
7. तहसीलदार टोडाभीम।
8. उप पंजीयक टोडाभीम।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट सायल

श्री जॉकिर खॉन एडवोकेट गैरसायलान न0 3

निर्णय दिनांकः– 13.02.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 1976 रकवा 0.24 है0 मे सायल 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा शेष हिस्से मे गैरसायलान जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातदेार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

ख0न0 1869/0.13, 1870/0.13, 1877/0.02, 1878/0.09, 1879/0.24, 1907/0.45, 2158/0.20, 2159/0.67, 2160/0.02, 2550/0.39 कुल किता 10 कुल रकवा 2.34 है0 ख0न0 1977/0.81, 1904/0.09, 1959/0.01, 1974/0.23, 1903/0.26 है0 मे सायल 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा शेष हिस्से मे गैरसायलान जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातदेार काश्तकार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:52 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजीयात सायल व प्रतिवादी ... व ... के प्रतिवादी न0 7 ता 9 की शामलाती आराजी है जिनका राजस्व रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही हुआ है, परन्तु मौके पर आपसी सहमति एवं भाई बटवारे के अनुसार काफी लम्बे अर्से से काश्त करते चले आ रहे है। सायल ने मुताबिक भाई बटवारे के अलमशहूर व 10 बिस्वा जिसके अगल बगल/आजू बाजू मे जिन्सी का झोपडा वाले 10 बिस्वा रमजू का 10 बिस्वा, कजोडी का बीधा एवं सुमेर, भरतलाल का 10 बिस्वा है जिसका वर्तमान ख0न0 1907 रकवा 0.45 है0 के पूर्ण

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

मे सायल काबिज है तथा ख0न0 1976 रकवा 0.24 है0 अलमशहूर 6 बिस्वा जिसमे ाल 1/3 हिस्से पर उगूडी की तरफ काबिज है जो एक बीघा के पास स्थित है तथा शेष से 2/3 पर गैरसायलान काबिज है। ख0न0 1974/0.23 है0 अलमशहूर 4 बिस्वा जिसके जू बाजू मे किशोर का 8 बिस्वा, सुरज्ञान के 12 बिस्वा का 1/2 हिस्सा गंगासहाय, ज्ञानपुरा का 2 बिस्वा किशोर, सरूपा का 5 बिस्वा का 1/2 हिस्सा स्थित है उस पर सायल भाग पर लम्बे समय से काबिज है तथा ख0न0 1879 रकवा 0.24 है0 के 1/2 भाग पर यल के नौ गह दुपल्ला पाटौर, एक हाल पक्का, तिबारी, दो झोपडी व केटल शेड बना हुआ। उपरोक्त आराजी अलमशहूर 10 बिस्वा के नाम से जानी जाती है। जिसके बगल मे मोत्या देवी सहाय की आराजी है। ख0न0 1879 के शेष 1/2 भाग पर गैरसायलानो की आबादी। सायल की आराजी मे गैरसायलान बाधा करते रहते है

बॉका दिनांक 17.4.2022 को सायल अपने कब्जे काश्त की आराजी स्थित ाम खोहरा मे अपने पेडो व खेतो की डोल मेड देखने अलमशहूर 10 बिस्वा एवं 4 बिस्वा की ागरानी करने गया तो गैरसायल न 1 ता 5 व 9 एक राय होकर आये और बोले तुमने हमारे ाथ बेईमानी करी है और बोले ये आराजी हमारी है और अगली फसल इनमे हम ही काश्त रेगे तथा तुझको तेरे बट मे आयी आराजी से बेदखल कर देगे और तुम से उपरोक्त आराजी ीनकर ही दम लेगे। उपरोक्त बात एवं चेतावनी सुनकार सायल ने हाथ जोडकर निवेदन केया। आप लोग मुझे शांतिपूर्वक काश्त नही करने देते है तो चलो तहसील मे चलकर टवारा करवा आये पर उन्होने साफ इन्कार कर दिया कि हम बटवारा करने तहसील नही जायेगे तथा तकास्मा कराने से इन्कार कर दिया। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतो मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जायेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान न तो स्वंय और ना ही दीगर व्यक्तियो की मदद से भूमि मुतनाजा दर्ज कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल के हिस्से मे आई भूमि को शांति पूर्वक काश्त करने देवे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान न0 1, 2, 4, 5, 7, 8, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 6 की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, परन्तु पत्रावली मे जबाब पेश करने के कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नही किया। जबाब पेश नही करने की स्थिति मे प्रतिवादी न0 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 3 ने वकालतन जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे मद न0 1 ता 6 स्वीकार है मद न0 7 मे लिखित बटवारा नही होना एवं आपसी सहमति से भाई बटवारा अनुसार काबिज होना स्वीकार है शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर की गई है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे डोल मेड को लेकर आये दिन विवाद होना स्वीकार है मद मे जो घटना दर्शायी है ऐसी कोई घटना घटित नही हुई है। गैरसायल न0 3 समस्त आराजी का बटवारा करना चाहता है सायल अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। एवं गैरसायल न0 3 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है दावा बटवारे का है ऐसी स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई औचित्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

...ः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ...रिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो ... दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात सायल व ...रसायलान न 1 ता 6 की शामलाती आराजी है जिनका राजस्व रिकार्ड मे विधिवत बटवारा ...ी हुआ है, परन्तु मौके पर आपसी सहमति एवं भाई बटवारे के अनुसार काफी लम्बे अर्से से ...श्त करते चले आ रहे है। उसी अनुसार खातेदार दर्ज है। सायल ने मुताबिक भाई बटवारे ... अलमशहूर व 10 बिस्वा जिसके अगल बगल/आजू बाजू मे जिन्सी का झोपडा वाले 10 ...स्वा रमजू का 10 बिस्वा, कजोडी का बीधा एवं सुमेर, भरतलाल का 10 बिस्वा है जिसका ...र्तमान ख0न0 1907 रकवा 0.45 है0 के पूर्ण भाग मे सायल काबिज है तथा ख0न0 1976 ...कवा 0.24 है0 अलमशहूर 6 बिस्वा जिसमे सायल 1/3 हिस्से पर उगूडी की तरफ काबिज ... जो एक बीधा के पास स्थित है तथा शेष हिस्से 2/3 पर गैरसायलान काबिज है। ख0न0 ...974/0.23 है0 अलमशहूर 4 बिस्वा जिसके आजू बाजू मे किशोर का 8 बिस्वा, सुरज्ञान के ...2 बिस्वा का 1/2 हिस्सा गंगासहाय, सुजानपुरा का 2 बिस्वा किशोर, सरूपा का 5 बिस्वा ...ा 1/2 हिस्सा स्थित है उस पर सायल पूर्ण भाग पर लम्बे समय से काबिज है तथा ख0न0 ...879 रकवा 0.24 है0 के 1/2 भाग पर सायल के नौ गह दुपल्ला पाटौर, एक हाल पक्का, ...बारी, दो झोपडी व केटल शेड बना हुआ है। उपरोक्त आराजी अलमशहूर 10 बिस्वा के नाम ... जानी जाती है। जिसके बगल मे मोत्या व देवी सहाय की आराजी है। ख0न0 1879 के ...ेष भाग पर गैरसायलानो की आबादी है। सायल की आराजी मे गैरसायलान बाधा करते रहते ... इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द किया जावे।

गैरसायल न0 3 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे डोल मेड को लेकर आये दिन विवाद होना स्वीकार है मद मे जो घटना दर्शायी है ऐसी कोई घटना घटित नही हुई है। गैरसायल न0 3 समस्त आराजी का बटवारा करना चाहता है सायल अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। एवं गैरसायल न0 3 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है दावा बटवारे का है ऐसी स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई औचित्य नही है। इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ग्राम खोहरा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 के **खाता न0 264 मे कुल किता 1 कुल रकवा 0.24 है0** मे सायल 1/3 का, गैरसायल न0 1, 1/3 हिस्से का, गैरसायल न0 2, 1/6 हिस्से का, गैरसायल न0 4 व 5 के बुजुर्ग 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। **खाता न0 265 मे कुल खसरा किता 10 कुल रकवा 2.34 है0** मे सायल 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 1, 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 2, 1/5 हिस्से का, गैरायल न0 3 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 4, 1/25 हिस्से का, गैरसायल न0 5, 1/25 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। **खाता न0 266 मे कुल किता 1 कुल रकवा 0.81 है0** मे सायल 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 1, 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 6, 12/25 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। खाता सख्या 267 मे कुल खसरा किता 3 कुल रकवा 0.33 है0 मे सायल 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 1,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:52 IST
Reason: Self Attested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 2, 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 3, 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 4, 1/25 हिस्से का, गैरसायल न0 5, 1/25 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 268 मे कुल खसरा किता 1 कुल रकवा 0.26 है0 मे सायल 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 1, 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 2, 1/5 हिस्से का, गैरसायल न0 4, 1/25 हिस्से का, गैरसायल न0 5, 1/25 हिस्से का, गैरसायल न0 6, 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल न0 3 ने अपने जबाब मे कोई ऐसा जबाब/साक्ष्य पेश नही किया है जिससे प्रकरण उसके पक्ष मे साबित होता हो व अन्य गैरसायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से, प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** वर्णित आराजीयात ग्राम खोहरा मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूर्तनीय ाति सायल के पक्ष मे साबित होने से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य ोने से स्वीकार किया जाता है।

अतः उभयपक्षकारान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 1976/0.24, 1869/0.13, 1870/0.13, 1877/0.02, 878/0.09, 1879/0.24, 1907/0.45, 2158/0.20, 2159/0.67, 2160/0.02, 2550/0.39, 977/0.81, 1904/0.09, 1959/0.01, 1974/0.23, 1903/0.26 है0 मे एक दूसरे की कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलतन नही करे, तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:40:52 IST
Reason: SelfAttested